**भारत सरकार**
**सहकारिता मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1606**
**मंगलवार, 12 दिसंबर, 2023/21 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ**

## सहकारी क्षेत्र में व्यवसाय करने में आसानी

**1606. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत सहकारी समितियों द्वारा व्यवसाय करने में आसानी के लिए कोई प्रावधान किए गए हैं;

(ख) यदि हां**,** तो इसके अंतर्गत किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त समितियों के सदस्यों के लिए उक्त उपबंधों के क्या लाभ हैं?

**उत्तर**

**सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)**

(क) से (ग): मौजूदा कानून के अनुसमर्थन द्वारा और सत्तानवां संविधान संशोधन के उपबंधों की अंतर्विष्ट करके बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण**,** पारदर्शिता वृद्धि**,** जवाबदेही में बढ़ोतरी और निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार**,** इत्यादि हेतु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) (संशोधन) अधिनियम और नियम, 2023 को क्रमश: दिनांक 03.08.2023 और दिनांक 04.08.2023 को अधिसूचित किया गया है ।

बहुराज्य सहकारी समितियों के कार्यकरण में व्यापार सुगमता हेतु उपर्युक्त संशोधन के माध्यम से अनेक उपबंध शामिल किए गए हैं**,** जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. डिजिटल स्वरूप में आवेदनों, विवरणियों, प्रतिवेदनों, लेखा विवरणी, रजिस्टरों की प्रस्तुति या दाखिल किए जाने वाले अपेक्षित अन्य कोई विवरण या दस्तावेज और विवरणियां, तामील या सुपूर्दगी के लिए अपेक्षित नोटिस, कोई संप्रेषण या संसूचना, या पंजीकरण प्रमाणपत्र का जारीकरण उपविधियों का संशोधन, शुल्क, इत्यादि का उपबंध किया गया है । इससे कागज-रहित प्रोसेसिंग द्वारा सुगम व्यापार को बढ़ावा मिलेगा ।

ii. नई बहुराज्य सहकारी समितियों की पंजीकरण अवधि को 4 माह से घटाकर 3 माह कर दिया गया है जिसे आवेदन की कमियों में सुधार हेतु आवेदक के अनुरोध पर अतिरिक्त 2 महीने और विस्तारित किया जा सकता है । इससे त्वरित और सुगम पंजीकरण में सहायता मिलेगी ।

iii. बहुराज्य सहकारी समितियों में समयबद्ध**,** नियमित और पारदर्शी निर्वाचन कराने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का उपबंध शामिल किया गया है ।

iv. बहुराज्य सहकारी समितियों को पूंजी जुटाने में मदद हेतु गैर-मतदान शेयर का उपबंध शामिल किया गया है ।

v. सुरक्षित निवेश सुनिश्चित करने और औपनिवेशिक युग से संबंधित प्रतिभूतियों को हटाने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा निधियों के निवेश के उपबंध को पुन:परिभाषित किया गया है ।

vi. राज्य अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी समिति का बहुराज्य सहकारी समिति में परिवर्तित होने पर सहकारी समितियों के संबंधित पंजीयक के किसी आदेश की आवश्यकता के बिना ही समिति को विपंजीकृत माने जाने का प्रावधान शामिल किया गया है जिससे कि ऐसे मामलों के प्रोसेसिंग समय को घटाया जा सके ।

इसके अतिरिक्त, सहकारी समितियों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने और उनमें वित्तीय अनियमितताओं की रोकथाम हेतु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) (संशोधन) अधिनियम और नियम, 2023 के माध्यम से अनेक उपबंध शामिल किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं: -

i. सदस्यों की शिकायतों के निवारण हेतु एक तंत्र प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहकारी ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति ।

ii. पारदर्शित में सुधार हेतु बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा सदस्यों को सूचना प्रदान करने के लिए सूचना अधिकारी की नियुक्ति ।

iii. 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर/जमा वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय पंजीयक द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों के पैनल द्वारा कॉनकरंट संपरीक्षण का उपबंध शामिल किया गया है । कॉनकरंट संपरीक्षण से धोखाधड़ी या अनियमितताएं, यदि कोई हो, का जल्द पता लग सकेगा और तदनुसार तत्काल सुधार किया जा सकेगा । वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए संपरीक्षकों के निम्नलिखित दो पैनल अधिसूचित किए गए हैं:

1) पांच सौ करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर/जमा (जो भी दशा हो) वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए सांविधिक संपरीक्षण हेतु संपरीक्षकों का पैनल ।

2) पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक टर्नओवर/जमा (जो भी दशा हो) वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए सांविधिक और कॉनकरंट संपरीक्षण हेतु संपरीक्षकों का पैनल ।

iv. पारदर्शिता में वृद्धि हेतु शीर्षस्थ बहुराज्य सहकारी समितियों के संपरीक्षण रिपोर्टों को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा ।

v. लेखांकन और संपरीक्षण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुराज्य सहकारी समितियों के लेखांकन और संपरीक्षण मानकों का निर्धारण ।

vi. शासन और पारदर्शिता में सुधार हेतु बहुराज्य सहकारी समितियों के वार्षिक रिपोर्ट में बोर्ड के ऐसे निर्णयों को शामिल करना जो सर्वसम्मति से न लिए गए हों ।

vii. केंद्रीय सरकार द्वारा थ्रिफ्ट और क्रेडिट का व्यवसाय करने वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों (तरलता, जोखिम, आदि) का निर्धारण ।

viii. बहुराज्य सहकारी समितियों में परिवारवाद और पक्षपात की रोकथाम हेतु किसी बहुराज्य सहकारी समिति का निदेशक उन विचार-विमर्श में उपस्थित नहीं होगा या उन मामलों में मतदान नहीं करेगा जहां वह स्वयं या उसके परिजन हितबद्ध पक्ष होंगे ।

ix. शासन में सुधार, बकाया की बेहतर वसूली और यह सुनिश्चिम करने के लिए कि ऐसे लोप और करण त्रुटि की पुनरावृत्ति कहीं और न हो सके, निदेशकों की अयोग्यता के अतिरिक्त आधार बनाए गए हैं ।

x. अधिक वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के बोर्ड द्वारा गठित समितियों में संपरीक्षण और सदाचार समिति का गठन किया जाएगा ।

xi. शासन सशक्तिकरण हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति के शर्तों को विनिर्दिष्ट किया गया है ।

xii. बहुराज्य सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक निर्णयन को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड की बैठकों के लिए गणपूर्ति विनिर्दिष्ट किया गया है ।

xiii. यदि केंद्रीय पंजीयक को यह सूचना मिलती है कि कपटपूर्ण तरीके से या किसी गैरकानूनी प्रयोजन से व्यवसाय किया जा रहा है तो वह जांच पड़ताल करा सकता है ।

xiv. यदि किसी बहुराज्य सहकारी समिति द्वारा गलतबयानी, कपट, इत्यादि से पंजीकरण प्राप्त किया गया हो तो सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसके परिसमापन का उपबंध किया गया है ।

xv. बहुराज्य सहकारी समितियों के सामुहिक हितों के विरुद्ध सदस्यों को कार्य करने से हतोत्साहित करने के लिए बहुराज्य सहकारी समिति के किसी निष्कासित सदस्य के निष्कासन अवधि को 1 वर्ष से बढ़ा कर 3 वर्ष कर दिया गया है ।

xvi. केवल कुछ ही सदस्यों द्वारा समिति के संसाधनों का लाभ लेने को रोकने के लिए सहायक संस्थान के रूप में बहुराज्य सहकारी समितियों के सदस्यों या उनके परिजनों द्वारा धारित अधिसंख्य इक्विटी शेयर वाले संस्थानों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

*****